दस रुपये TEN RUPEES

(3)

निगरानी 119-I-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2015/निगरानी

निगरानीकर्ता/ आवेदक : भागीरथ अहिरवार पुत्र श्री जगन्नाथ अहिरवार, निवासी-ग्राम पिपरी तहसील लवकुश नगर, (म0प्र0)

बनाम

गैर निगरानीकर्ता/ अनावेदकगण : 1. मूलचन्द्र अहिरवार पुत्र श्री गज्जू अहिरवार, स्व0माता श्रीमती रामबाई, निवासी-ग्राम सुकैरा तहसील महोवा (उ0प्र0)

फौरमल पक्षकार : 2. गरीबा पुत्र श्री जगन्नाथ अहिरवार, निवासी-ग्राम पिपरी तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म0प्र0)

3. बड़ीबाई पुत्री जगन्नाथ अहिरवार, पत्नी श्री धनीराम अहिरवार, निवासी -ग्राम पिपरी तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म0प्र0)

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर प्रकरण क्रमांक-160/अपील/12-13.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-119-एक-2015 भागीरथ विरूद्ध मूलचंद व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक भागीरथ की ओर से अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर के प्रकरण क्रमांक 160/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-01-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

17.12.18

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

17.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य